

100 घर देंगे, तो कितने सालों में हम सभी झुग्गी-झोंपड़ी वालों को घर बनाकर दे सकेंगे? यह बहुत चिन्ताजनक स्थिति है और मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में अवश्य विचार करें। आने वाले कल में आप जो-जो भी प्रोग्राम्स ला रहे हैं, उनमें हमारी राज्य सरकार आपका सहयोग करती रही है और करती रहेगी। 2010 तक का आपका जो सपना है, मैं चाहूंगा कि आप अपने उन सभी कार्यक्रमों में सफल हों। अंत में आपको बधाई देते हुए, अपना वक्तव्य मैं यहीं समाप्त करता हूँ।

**श्री उपसभापति :** नजमा जी, आप एक क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। एक मिनट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ लीजिए।

**डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला :** मैं मंत्री जी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ।

यहां पर दिल्ली की एक ट्राइब है, जिसका नाम है 'गढ़िया लोहार'। ये लोग सदियों से यहीं पर रह रहे हैं। उनकी बहुत-सी फैमिलीज़ महाराणा प्रताप के साथ राजस्थान से आई थीं, लेकिन जब उनकी डिफीट हो गई तो वे सब लोग यहां से वापस चले गए, लेकिन कुछ लोग यहीं रह गए। उनमें से अब सिर्फ 16 फैमिलीज़ बची हैं, जो बरसों से यहीं दिल्ली में रह रही हैं। इस संबंध में मैंने पार्लियामेंट में भी एक सवाल उठाया था। अभी कॉमान वैल्यू गेम्स के लिए जो डेवलपमेंट हुआ, ब्रिज वगैरह बने हैं, उसमें उनकी झोंपड़ियां भी तोड़ दी गईं और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। अगर आप नोट कर लेंगी तो इसके बारे में मालुमात भी करवा सकती हैं। It is a very human question.

जब उन लोगों को निकाल दिया गया, तो वे लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में दिल्ली सरकार ने उनसे वादा किया है कि हम आपको जमीन देंगे, because they were living here for centuries. कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उनको घर बनाने के लिए जमीन मिलनी चाहिए और इस बात को तीन महीने हो गए। वे सिर्फ 16 फैमिलीज़ हैं, लेकिन चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आज भी वे रास्ते पर ही बिना घर के रह रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। I will be very thankful if you could kindly do needful about it. You are looking after housing as well as poverty alleviation, kindly do something about.

---

## MESSAGE FROM LOK SABHA

### The Appropriation Bill (No.3) Bill, 2010

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (No.3) Bill, 2010, as passed by Lok Sabha at its sitting held on 28th April, 2010.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

---